

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश LITAH PRADESH



लेख पत्र का लक्षित विवरण

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. परतना | : विजयनगर |
| 3. गाँव | : बरौना |
| 4. सन्तान का विवरण | : भूमि तालिका संख्या-5/1028 |
| सम्पत्ति का नाम: | |
| 5. माता की इकाई | : इकाई नं० |
| 6. सम्पत्ति का संख्या | : 0/126 इकाई नं० |
| 7. सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |

दिनांक

जारी किया गया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये


FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



8	गैरी का मुकामिन	₹ 1000/-
9	बोर्डिंग/कुर्सी/अन्ध	₹ 1000/-
10	प्रतिफल की गन्दाशि	₹ 7,00,000/-
11	खाना	₹ 7,00,000/-
12	पालियत	₹ 3,40,200/-
13	रहाम	₹ 40,500/-



उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



बीकानेर


खसरा नं० 528

पूर्व : भूमि खसरा संख्या-524 व 525

पश्चिम : भूमि खसरा संख्या-519, 520 व 521

उत्तर : भूमि खसरा संख्या-511 व 512

दक्षिण : भूमि खसरा संख्या-529



उत्तर प्रदेश




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 887356



<p>प्रथम पक्ष की संख्या-01 स्थान-प्रथम पक्ष का विवरण रामचन्द्र पुर स्व० हटि प्रसाद, निवासी-धीधरीखंडा, बटौना, जगना-बिजनौर, ताहसील य मिला-तकमऊ। खबसाय - कुबे</p>	<p>द्वितीय पक्ष की संख्या-01 स्थान-द्वितीय पक्ष का विवरण जय प्रकाश पुर श्री राम विरजु, निवासी-श्याम पसिया खंडा, पान्ड-बाल्य कला, ताहसील-तकमऊ, जिला-राजबंदी, उध्या खबसाय-शुनि</p>
--	---



उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

1111-3113

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

587855


विशद अनुबंध एवं मउ कक्षा

यह विशद अनुबंध एवं मउ कक्षा स्व. हरि प्रसाद, निवासी
-बीपटीखेड़ा, बरीना, पटना-बिगौर, तहसील व जिला-
लखनऊ, जिनका नाम विवेका/प्रयोग कर पढ़ा गया है।

एवं

जय प्रकाश पुत्र श्री राम बिहून, निवासी देवरी पुलिस
सेना, पोस्ट-बेरा कला, तहसील-बालगंज, जिला-राजबरेली,

जिनका नाम विवेका/प्रयोग कर पढ़ा गया है।



587855

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INTALC

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


F 857804



जहाँ, जिसे जो असाधारण रूप से कहा जा सकता है कि मध्य
निष्पादिन हुआ।

यह कि विवेका/असा- २४ असाधारण फरवरी २०००
खाली तम संख्या 10858, फरवरी २००० से २०२४ के
असा संख्या-२००० संख्या 0.126 इन्फोअर, सिल पाम बर्तना,
पटना- निजलीर, लखनऊ व जिला लखनऊ की मालिक शक्ति
व असा है तथा विवेका/असा २४ के नाम लखनऊ अभिलेखी में
संख्या 13 वर्ष से बारी असाधारण मूषिकर दर्ज है।

दि २०/०२/२०००



दि २०/०२/२०००

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


JURIST

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

587828

- 7 -

यह कि जहाँ भूमि अस्तमयीय कर है, अथवा भूमि भूमि
 विवेका/पथन पक्ष के बन्धों में लागण 15 वर्ष से अधिक है, अथवा
 भूमि भूमि जुम्मा इत दिना के इत्यादि, गिरन, देन, मर,
 देना, जमानत, शर्तों, कपय, मुकदमा, सत्यवती या गैर सत्यवती
 वेक कर, सत्यवती या गैर सत्यवती कार्यवाही अथवा से विद्युत
 नहीं से प्राप्त साक है, अथवा सक्षम अधिकारी से स्वयं भूमि को
 अस्तमयीय घोषित करवा यह तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति
 प्राप्त यह विवेका/पथन पक्ष, विवेका/विधि पक्ष के पक्ष में विवेका



587828

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


COURT OF JUDICIAL OFFICERS

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 857523

विशेष नोटाईस कर देगा। यदि खत भूमि का संक्रमणीय भूमि में
हस्तांतरण नहीं हो पाता है और प्रस्तावित स्थायीकरण पत्र का
खत भूमि के कर्जों से फंडल किया जाता है तो विभागाध्यक्ष
पत्र तत्पुर्ण प्राप्त मिलने के बाद की वनरशि कर सक्षित
संसाधित पत्र को वापस करेगा।

इस वनरशि कर के अंतर्गत कृषि भूमि, कृषि भूमि, विद्या
शाला-बरीदा, नगरपालिका-विद्यालय, ताहसील व जिला तहसील को
द्वि-सौध व सहायक भिन्ना कृषि वनरशि करिणी वीज व इक म



उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१ ६०७०३०

जुलू के बिल (एनए रु० १,०५,०००/-) (एनए सात लाख पाँच हजार मात्र) में लेता/द्वितीय चक्र उपरोक्त के एक में बचना एक लाख है। निम्नानुसार एक अन्य चक्र निम्नलिखित शर्तों के प्रावधानों में है:-

१. यह कि स्वतः कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तदनुसृत बिल में से लेता/द्वितीय चक्र के निकलना/प्रथम चक्र को रु० १,०५,०००/- (एनए सात लाख मात्र) बचना के तौर पर

के सम्बन्ध में



१०/१०/१५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-20-

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार शर्तें मूद दिये हैं।
जिसकी तालिका किर्सेला/रखन पर स्वीकार किये हैं।

1. इस के बकाया राक्या रु. 5,000/- (अमदा पाँच हजार मात्र) किर्सेला/रखन पर, किर्सेला/रखन पर की बखतत इन्सूरी अदा करेगा।
2. यह कि उक्त भूमि अलहाबाद जर्ज है, उक्त भूमि भूमि किर्सेला/रखन पर के कर्ज में लगाना 15 वर्ष से मीनूट है,



किर्सेला/रखन


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

469918

- 1 -

उक्त रुपय भूमि खपता इत कित्ता के इलाकाजाल, किल, रेल, म, हिव, जमागत बुजर्ग, बनवक, कुलवरा, सरकारी का गैर सरकारी बक भण आदि से बिल्लुल वती इ पाठक साफ है. उक्त ससम अधिक्ती से उक्त भूमि का अकन्मगीट घोदित वन्वा अर उक्त ससम अधिक्ती से अनुमति प्राप्त वन्त विज्जा/प्रठम पक्ष, वंजा/द्वितीय पक्ष के पक्ष में विज्जा विवेक विष्वादि वन्त क्ता. यदि उक्त भूमि के अकन्मगीट भूमि में इलाकाजाल नहीं हो पाता है और



मन्त्रपरिचय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


1119815
19/04/20

112-

कला/द्वितीय पक्ष को स्वतः भूमि के मन्तव्य से बदलकर किया जाता है तो विवेकापेक्षया पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त निकल मुद्दा को पन्द्राशि ब्याज सहित केला/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

- 4. यह कि क्लेन/प्रथम पक्ष यदि कलरोषल भूमि को रजिस्ट्री करानामा निष्पादित करने में हीला-इयाली करता है तो केला/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह कलरोषल बदलकर स्वतः भूमि को रजिस्ट्री करानामा अपने हक में करा

11/04/2020



11/04/2020


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



2134

हरे तथा स्वयं अदालती कार्यालय में हीन वाले होने की जिम्मेवारी विनिर्दिष्ट/पक्ष की होगी।

- 5. यह कि यदि विवाद/सुझ समिति अथवा कोई गण स्वयं पक्ष की स्थापित की शक्ति के कारण या कानूनी अदालत के कारण श्लेष पक्ष या स्वयं प्रतिमान, निष्ठाकरण इत्यादि के कथन, अपेक्षित या स्वयं ही निबल जाने की श्लेष पक्ष स्वयं प्रतिमान, निष्ठाकरण की मः एक युवा कि वह अपना समस्त मुकदमा पक्ष स्वयं स्वयं स्वयं



2134




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 203557

-14-

प्रथम पक्ष को यह व अल्प समाप्ति से नदिमें वापस
 भेज कर ले जाय ज्योति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान
 एवं लखी देने हेतु अद्य शीमे। इस विधाय अनुभव पर को
 पूर्व को कार्य कथया यदि समाप्ति पर संगी तो उदनी
 जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उनके वारिसान की होगी।

- e. यह कि रजिस्ट्री जनगण निष्ठाए में होने वाले कार्य जैसे
 कि व्यापक मूलक रजिस्ट्रेशन फीस आदि को निर्मायरी
 जिम्मेदारीक एवं कसमेक की होगी।




निर्देशक, लखनऊ

अ. न. नि. उ. न. नि.

7. यह कि इस अनुभव पत्र द्वारा कथना दिया जा रहा है।
विलेन/प्रथम पक्ष व अन्य/द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति
के सदस्य हैं।
8. यह कि उपरोक्त विद्वत् अनुभव की शर्त में विलेन/प्रथम
पक्ष व उदात्त/द्वितीय पक्ष के वैयक्तिक वारिसों, प्रभारों व
अन्य/द्वितीय पक्ष के वैयक्तिक वारिसों आदि पर भी लागू
होने।
9. यह कि उपरोक्त भूमि खान बर्तना, अधिकांश क्षेत्र के
सामान्य लोग के अर्जाएँ आती हैं इसलिए निर्वाचित
सर्विसल रेट रु० 27,00,000/- प्रति हेक्टर को हिसाब
निर्वाचित है जिसके अनुसार गैलीन समाप्ति की भूमि
दरमा 6,12,00 हेक्टर की मालिकता रु० 3,40,200/-
होती है, जो विस्तृत मुख्य से कम है। अतः नियमानुसार
विलेन मुख्य पर ही रु० 19,50,00/- को खर्च कर लेना अदा
किया जा रहा है।
10. यह कि आदमी अर्जाएँ में पत्र, दस्तावेज, वृत्तों व अन्य
आदि नहीं है तथा विस्तृत अर्जाएँ की 200 मीटर की

20/11/2024



20/11/2024



क्रिया में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही अपराधीन
नदीविधियां लंबावत है।

11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुभासपुर रोड से
200 पीछे से अधिक दूरी पर स्थित है।


12. यह कि आराजी उपरोक्त केंद्री लिंग मार्ग जनासीब मार्ग,
राष्ट्रीय राजमार्ग नं. लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

भरतना धनदात्री प्राप्ति का विवरण

1. रकम 7,00,000/- (अथवा सात लाख मात्र) द्वारा बैंक
कह्यो-485,559 दिनांकित 24.01.2012, पंजाब नेशनल
बैंक शाखा इन्द्रावत, लखनऊ।

इस प्रकार कुल भरतना राशि रकम 7,00,000/- (अथवा
सात लाख मात्र) बैंक (अथवा बैंक से जेता/द्वितीय बैंक से प्राप्त
गया।

आतः यह विवरण अनुसंधान पर भव्य विज्ञान/प्रथम पदा व
जेता/द्वितीय बैंक से प्राप्त जोट ज्ञान नालायक किसी शब्द से
ज्वारा मरिचक, लखनऊ राक्षसि से अपने-अपने इच्छासुनिर्वाणी



जारी/उत्तर

1500000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000
 10000000 11000000 12000000 13000000 14000000 15000000 16000000 17000000 18000000 19000000 20000000
 21000000 22000000 23000000 24000000 25000000 26000000 27000000 28000000 29000000 30000000
 31000000 32000000 33000000 34000000 35000000 36000000 37000000 38000000 39000000 40000000
 41000000 42000000 43000000 44000000 45000000 46000000 47000000 48000000 49000000 50000000
 51000000 52000000 53000000 54000000 55000000 56000000 57000000 58000000 59000000 60000000
 61000000 62000000 63000000 64000000 65000000 66000000 67000000 68000000 69000000 70000000
 71000000 72000000 73000000 74000000 75000000 76000000 77000000 78000000 79000000 80000000
 81000000 82000000 83000000 84000000 85000000 86000000 87000000 88000000 89000000 90000000
 91000000 92000000 93000000 94000000 95000000 96000000 97000000 98000000 99000000 100000000

1. संयोजक
 2. संयोजक
 3. संयोजक
 4. संयोजक
 5. संयोजक
 6. संयोजक
 7. संयोजक
 8. संयोजक
 9. संयोजक
 10. संयोजक

1. संयोजक
 2. संयोजक
 3. संयोजक
 4. संयोजक
 5. संयोजक
 6. संयोजक
 7. संयोजक
 8. संयोजक
 9. संयोजक
 10. संयोजक



शिक्षण विभाग, अखिल भारतीय शाळा
 श्री. ए. ए. अहमद
 राज्य शिक्षण अधिकारी (अ.प्र.)
 अहमदनगर

श्री. ए. ए. अहमद
 राज्य शिक्षण अधिकारी (अ.प्र.)
 अहमदनगर



शिक्षण विभाग, अखिल भारतीय शाळा
 श्री. ए. ए. अहमद
 राज्य शिक्षण अधिकारी (अ.प्र.)
 अहमदनगर

अंगुठा लगाकर आज दिनांक 24 जनवरी को 2012 को राष्ट्रीय
काठ देना ताकि समय रहे और वक्ता मरुदा पर भाग लें।

गौर:-पूरा संख्या-15 में ये संख्या काले पना हो लिखी गयी है।

संख्यांक

दिनांक - 24.01.2012

व्यक्ति:-

1. 
पुस्तकालय, राजीव
गान्धी नगर, दिल्ली
(011-26101111)





निदेशात्मक पत्र

2. 









संसाधन विभाग

उद्देश्यकर्ता


(अमय झाड़)
सिनेल कार्ड, संख्यांक

मलविदाकर्ता


(दीश्वर भुल मील हरानी)
इकाई नंबर
इकाई नंबर, संख्यांक

Erbin

Erbin

1417

Erbin


1417

Erbin

Erbin

Erbin

Erbin



1950

1951

1952



1953
1954


300

October 14 1411

Nov 2002

December 1


2201
10/14/11
10/14/11
10/14/11




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिंट्स

विशेषता का नाम न भला जय प्रकाश पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी-दीपरीदेड़ा,
बरोना प्रखण्ड, जिला-बलरामपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



बायें हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-




जय का नाम न भला जय प्रकाश पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी-दीपरीदेड़ा,
बरोना प्रखण्ड, जिला-बलरामपुर, बलरामपुर, बिहार-824001।

बायें हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



बायें हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



रतन सिंह
बलरामपुर

दिनांक: 24/01/2012

पत्र सं. 100/1

पृष्ठ सं. 159

विषय: विज्ञापन

प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में



प. व. शर्मा

उप निदेशक (विज्ञापन)

राजपट्टा

राजपट्टा

